न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 17/2020 दायर दिनांक–20.01.2020

1. छोटी देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र
2. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री नारायण प्रसाद

जाति माली निवासी बागोरियों की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र श्री म्हाल सिंह
2. मांगू सिह पुत्र श्री म्हाल सिंह

जाति राजपूत निवासी बागोरियों की ढ़ाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।

3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. तहसीलदार नवलगढ (लैण्ड होल्डर) जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री आनन्दीलाल सैनी
वकील प्रतिवादीगण : – एकपक्षीय

दावा : बाबत बेदखली जमीन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 25–01–2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम बागोरियों की ढाणी तन चिराना में खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 3.32 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1263 रकबा 5 बीधा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1264 रकबा 9 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 14 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता जो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे व काश्त की भूमि है। वर्णित भूमि वादीगण काश्त करते हैं वादी ने उक्त भूमि उगम सिह पुत्र शैतान सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हुई तब से वादीण्गा उपरोक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पड़ौसी खातेदार है जिनकी भूमि के खसरा नम्बर 224 रकबा 3.02 हैक्टर स्थित है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काश्त करते है जिसके सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के मध्य कोई विवाद नही है।

वादीगण व उनके परिवार की अनुपस्थिति व अनुचित लाभ उठाकर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जिनकी भूमि खसरा नम्बर 224 वादीगण के उतरी साईड में पड़ती है जिन्होने वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 225 भूमि के कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर लिया जबकि खसरा नम्बर 225 की खाते की भूमि जो कि वादीगण की भूमि है जो प्रतिवादीगण की दक्षिणी सीमा पर है उस पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादीगण नम्बर 1 व [illegible] कब्जा कर लिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिक[illegible]दीगण की भूमि खसरा नम्बर 231 व 225 है जबकि प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का भूमि खसरा नम्बर [illegible] परिवार के गांव चले जाने से उनकी अनुपस्थिति का [illegible] की भूमि जो वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 225 है पर नाजायज कब्जा कर लिया जबकि [illegible]दीगण को वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही था लेकिन प्रतिवादीगण की नियत खराब हो जाने की वजह से उन्होने वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर कब्जा करते हुये अपनी भूमि खसरा नम्बर 224 में शामिल कर लिया जो कि वाद के साथ संलग्न नक्शे में ए.बी.सी.डी. लाल रंग से दर्शायाा गया है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा किया गया अवैधानिक अतिक्रमण हटाकर उन्हे भूमि खसरा नम्बर 225 से बेदखल करवाने तथा उक्त खसरा नम्बर

की भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण होने से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का कोई [illegible] अथवा सम्बन्ध नही लेकिन खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर कब्जा करने व वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाके ग्राम बागोरियों की ढाणी तन चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर कब्जे शुदा सम्पूर्ण भाग जो वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. बिन्दुओं से दर्शाया गया है उक्त भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो जो वादी के हक में हो वही भी दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध दिनांक 24.02.2020 को एक–तरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के अधिवक्ता को बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्वयं एवं ना ही इनके अधिवक्ता दिनांक 27.12.2022 को उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा इनकी ओर से कोई भी प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। तदपश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी छोटी देवी व जगदीश प्रसाद एवं गवाहान श्योपाल उपस्थित होकर चीफ के शपथ पत्र पेश किये गये। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् विवादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेश प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071–2072 प्रदर्श–8, राजस्व विभाग की जारी पास बुक प्रदर्श– 9, 10,11, 12 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी एक पक्षीय बगौर सुनी गई। बहस में वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बागोरियों की ढाणी में खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 3.32 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1263 रकबा 5 बीधा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1264 रकबा 9 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 14 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता है जो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे व काश्त की भूमि है। वादी ने उक्त भूमि उगम सिह पुत्र शैतान सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। यहां यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 3.32 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1263 रकबा 5 बीधा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1264 रकबा 9 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 14 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता है जो नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 व 3 से बनना प्रमाणित होता है। उक्त भूमि पूर्व में श्री उगम सिंह के के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उगम सिह से वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है दस्तावेजात् प्रदर्श–4 से प्रमाणित है। खसरा नम्बर 225 व 231 की खातेदारी प्रदर्श–6 से छोटी देवी हिस्सा 1/2, जगदीश [illegible] हिस्सा 1/2 के [illegible] प्रमाणित है। खसरा नम्बर की खातेदारी श्री गिरधारी, मांगू सिंह के नाम हिस्सा 1/2–1[illegible] जे है [illegible] प्रदर्श–7 से साबित होता है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पड़ोसी खातेदार है जिनकी [illegible] नम्बर 224 रकबा 3.02 हैक्टर स्थित है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काश्त [illegible] जिसके सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के मध्य कोई विवाद नही है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible] जिनकी भूमि खसरा नम्बर 224 वादीगण के उतरी साईड में पड़ती है जबकि खसरा नम्बर 225 की खाते की भूमि जो कि वादीगण की भूमि है जो प्रतिवादीगण की दक्षिणी सीमा पर है उस पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा था। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 खसरा नम्बर 225 की भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया गया। प्रतिवादीगण को दुसरे खातेदार काश्तकार की भूमि में कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 231 व 225 है जबकि प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 224 पूर्णतया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

अलग है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का भूमि खसरा नम्बर 225 से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर कब्जा करते हुये अपनी भूमि खसरा नम्बर 224 में शामिल कर लिया जो कि वाद के साथ संलग्न नक्शे में ए.बी.सी.डी. लाल रंग से प्रदर्शित है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा किया गया अवैधानिक अतिक्रमण हटाकर उन्हे भूमि खसरा नम्बर 225 से बेदखल करवाने तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण होने से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का कोई हित अथवा सम्बन्ध नही लेकिन खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 225 के कुछ भाग पर कब्जा करने व वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि की प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर अनुचित कब्जा को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वाद पूर्णतया साबित पाया गया है। फलस्वरूप वादी वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बागोरियो की ढाणी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि के राजस्व नक्शे अनुसार यदि वर्णित भूमि पर अनुचित कब्जा हो तो हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर में वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 25–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

16.

(ओ 20 रूल्स 6--7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा : बाबत बदेखली जमीन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 17 / 2020 **(छोटी देवी आदि बनाम गिरधारी आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.01.2023 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरियो की ढाणी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि के राजस्व नक्शे अनुसार यदि वर्णित भूमि पर अनुचित कब्जा हो तो हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 225 रकबा 0.46 हैक्टर में वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.01.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested